सहारा इंडिया ने फरीदाबाद में हजारों को बेसहारा किया, करोड़ों का भुगतान रोका

छोटे दुकानदारों, मजदूरों, छोटा-मोटा काम करने वालों के पैसे निवेश में फंसे

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: सहारा इंडिया के चिटफंड कारोबार ने फरीदाबाद में हजारों गरीब परिवारों को बेसहारा कर दिया है। करीब 5 से 6 करोड़ रुपये लोगों के डूब गए हैं। कंपनी तमाम स्कीमों में मेच्योरिटी के बावजूद पैसे नहीं दे रही है। जिन एजेंटों ने फरीदाबाद में सहारा इंडिया के कारोबार को फैलाया था, वे उन लोगों से बचते फिर रहे हैं, जिनका पैसा उन्होंने सहारा इंडिया की तमाम स्कीमों में लगवाया था। जी हां, आपने सही पहचाना...ये सुब्रत रॉय की कंपनी है जो खुद को सहाराश्री कहलवाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये वही सुब्रत रॉय हैं जो धोखाधड़ी में जेल काटकर आए हैं और केस अभी भी चल रहा है। सहारा इंडिया चैनल चलाता है और राष्ट्रीय सहारा नाम से समाचारपत्र भी प्रकाशित करता है।

क्या है गोरखधंधा

सहारा इंडिया एक नॉन बैंकिंग चिटफंड कंपनी है जो क्रेडिट सोसायटी में पैसा निवेश कराने के अलावा सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी और सहारा एफडी में भी निवेश कराती है। इसके एजेंट देशभर में फैले हैं। पूरे देश में करीब पांच हजार ब्रांच चल रही हैं। फरीदाबाद में इस कंपनी का क्षेत्रीय कार्यालय नीलम-बाटा रोड पर कोतवाली के पास है। कंपनी के एजेंट तरह-तरह से पैसे दोगुने करने का झांसा ग्राहक को देते हैं।

इनके टारगेट ज्यादातर छोटे दुकानदार, फलों की रेहड़ी लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, मांस बेचने वाले, लोगों के घरों में काम करने वाले, धोबी-मोची जैसा काम करने वाले लोग होते हैं। इनसे पांच हजार रुपये से लेकर किसी किसी से पचास हजार रुपये का निवेश किसी स्कीम में करा लिया जाता है। ग्राहक को बताया जाता है कि कितने समय बाद पैसा डबल हो जाएगा। फिर उसी ग्राहक को डबल पैसे को कई गुणा मुनाफे के लिए बार-बार लगाने को कहा जाता है। इस तरह का झांसा देने के लिए सहारा इंडिया अपने एजेंटों को बाकायदा ट्रेनिंग देता है। इनके एजेंट भी इन्हीं वर्गों के लोग होते हैं जो मामूली वेतन और मोटे कमीशन पर काम करते हैं।

एजेंट सहारा इंडिया के धंधे की शुरुआत अपने रिश्तेदारों का पैसा लगवाकर करता है। कुलभूषण नामक एक एजेंट ने बताया कि उसने अपने रिश्तेदारों के काफी पैसे सहारा इंडिया स्कीमों में फंसा दिए। 2018 में सभी स्कीमों की मैच्योरिटी हो चुकी है लेकिन कंपनी भुगतान के लिए पैसे ही नहीं दे रही है। कंपनी कह रही है कि उसका पैसा फंसा हुआ है, इसलिए वह देने में असमर्थ है। फरीदाबाद के एक बड़े एजेंट ने बताया कि उसके जरिए करीब एक करोड़ रुपये कंपनी में लोगों ने निवेश कर रखा है। किसी स्कीम की मैच्योरिटी 2018 में, किसी की 2019 में तो किसी की 2020 में हो चुकी है लेकिन कंपनी ने सारा पैसा रोक लिया है। इस बड़े एजेंट के साथ कई सब एजेंट भी काम कर रहे थे। इनकी पूरी चेन का पैसा डूब गया। इस बड़े एजेंट का कहना है कि मेरा और मेरे साथियों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। जिन रिश्तेदारों का पैसा डूबा है, उनसे नाता टूट चुका है। बाहर निकलने पर लोग मारने दौड़ते हैं, बेइज्जती करते हैं। हम लोग पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं।

सुब्रत रॉय

यह हैरानी की बात है कि इतनी सारी प्रताड़ना झेलने के बाद अभी तक किसी ग्राहक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। लेकिन इस सवाल का जवाब उसी बड़े एजेंट ने दिया। उसने कहा कि जिनके पैसे सहारा इंडिया में लगे होते हैं, वो लोग ज्यादातर अनपढ़ लोग होते हैं। उनमें काफी लोग पुलिस का नाम सुनकर ही कांपते हैं। ऐसे ग्राहक सोचते हैं कि तीस-चालीस हजार रुपयों के लिए कौन अपना चैन लुटाने पुलिस के पास जाए। सहारा इंडिया के पास यही तीस-चालीस हजार रुपये कई अरब रुपयों में बदल जाते हैं। सारे भारत में सहारा इंडिया के धंधे का पैटर्न ही यही है।

वित्तीय गड़बड़ी और चौतरफा दबाव की वजह से फरीदाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय में स्टाफ लगातार कम होता जा रहा है। कंपनी के अधिकारी एजेंटों के गाली गलौच से बचने के लिए दफ्तर से गायब हो जाते हैं। कुछ एजेंटों ने कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय पर पहुंचकर खुदकुशी और आत्मदाह जैसी धमकियां दी हैं, उसके बाद से कंपनी के अधिकारी गायब रहने लगे हैं।

झूठ बोलना धंधे का हिस्सा है

सहारा इंडिया में निवेश करने वाले ग्राहकों को हर दिन नए झूठ का सामना करना पड़ता है। कंपनी के बड़े अधिकारी एजेंटों को झूठ बोलने के लिए बाकायदा तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले एक साल से सारे एजेंट ग्राहकों से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का भुगतान करने पर सहारा इंडिया पर रोक लगा रखी है। यह सफेद झूठ था, जिसे एक साल तक चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया द्वारा दिए जाने वाले भुगतान पर कभी रोक नहीं लगाई थी।

अब एजेंटों को सिखाया गया है कि वे ग्राहकों को बतायें कि सहारा बनाम सेबी का केस चल रहा है। जिसमें 22 हजार करोड़ रुपये कंपनी के सेबी ने रोक लिए हैं। इसी पैसे से ग्राहकों को भुगतान होना है। इसलिए अभी मेच्योरिटी के पैसे लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि सहारा बनाम सेबी केस का संबंध सहारा इंडिया के कारोबार से नहीं है। सेबी का केस सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग फाइनैंस के खिलाफ है। लेकिन ग्राहकों को यही बताया जा रहा है कि कंपनी के 22 करोड़ रुपये सेबी के पास फंसे हैं, वो पैसे मिलते ही ग्राहकों को मैच्योरिटी के पैसे मिल जाएंगे। इतना ही नहीं कुछ ग्राहकों और एजेंटों से सहारा इंडिया ने केन्द्र सरकार के नाम वीडियो अपील भी कराई कि सरकार सेबी को सहारा के 22 करोड़ रुपये देने का निर्देश दे। ऐसे वीडियो की कोई कानूनी वैधानिकता नहीं होती और न ही वे कभी सेबी तक पहुंच पाते हैं लेकिन सहारा के बाकी ग्राहकों को जरूर संतुष्टि मिल जाती है कि कुछ हो रहा है तो जरूर पैसे मिल जाएंगे। लेकिन कई ग्राहक ऐसे पैसे मिलने की आस लिए दुनिया से कूच कर गए।

बहरहाल, अभी कल तक जो कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम को और इंटरनैशनल मैचों को स्पॉन्सर कर रही थी, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। सहारा इंडिया के दम पर ही सुब्रत रॉय का सारा कारोबार चल रहा है। लेकिन उसके ग्राहक अपना ही पैसा वापस पाने में असमर्थ हो गए हैं।

बता दें कि सुब्रत रॉय का अतीत काफी विवादास्पद रहा है। वह पूर्व कांग्रेसी और वर्तमान भाजपा नेता संजय सिंह के नजदीकी लोगों में से हैं।

प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की हत्या में जब संजय सिंह का नाम उछला था तो उसके कुछ छींटे सुब्रत रॉय पर भी पड़े थे लेकिन पुलिस को सुब्रत रॉय के खिलाफ सुबूत नहीं मिला था। लेकिन बाद में वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में आखिरकार जेल भेजे गए।

परिवहन मंत्री जी, महज छापेमारी से विभाग नहीं चलता, प्रशासनिक नेतृत्व भी चाहिए

बल्लभगढ़ (म.मो.) पिछले महीने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर छापे मारकर अवैध वाहनों की पकड़-धकड़ की थी। वैसे यह 'ड्रामा मंत्री जी' कुछ माह पहले भी इसी जगह गये थे। इसके बावजूद बीते बुधवार को यहां हरियाणा सरकार की रोडवेज बसों के स्टाफ व प्राइवेट बसों के ड्राइवर कंडक्टरों के बीच अच्छी-खासी मारपीट हो गयी।

स्थानीय पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107-150 के तहत कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षों को भविष्य में कोई झगड़ा न करने के लिए पाबंद करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली। लेकिन झगड़े के मूल कारण का निराकरण पुलिस नहीं कर रही।

दरअसल, परिवहन विभाग द्वारा पैदा किये गये इस झगड़े का निराकरण पुलिस कर भी नहीं सकती। इस वजह से इस

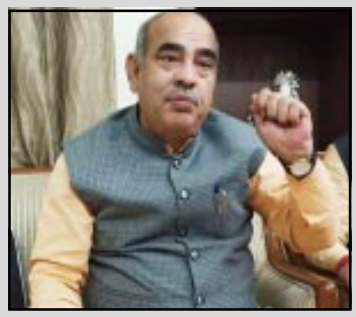

मुद्दे पर इससे भी भयंकर झगड़े भविष्य में भी होने तय है। मामले की जानकारी लेने पर पाया गया कि गुड़गांव के 'प्रधान जी' नामक किसी ट्रांसपोर्टर की कुछ गाड़ियां गुड़गांव-बल्लभगढ़ रूट पर चलती है। इनके परमिट आरटीए गुड़गांव ने जारी किये हैं। परमिट तो वैध है लेकिन इनका रूट वाया पाली है लेकिन इन बसों को चलाया जा रहा है सीधे एनआईटी होते हुए बल्लभगढ़ तक। पहले इनको केवल एनआईटी तक ही आने की ही इजाजत थी लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व इन्हें बल्लभगढ़ बस अड्डे के भीतर घुसने व 15 मिनट ठहर कर सवारी उठाने का परमिट आरटीए गुड़गांव ने दे दिया।

इस बढ़े हुए परमिट का दुरूपयोग करते हुए 'प्रधान जी' के ड्राइवर कंडक्टर 15 मिनट पूरे होने के बाद भी अपनी बसों को अड्डे से नहीं निकालते, बल्कि रोडवेज की बसों में बैठी सवारियों को खींच-खींच कर अपनी बसों में ले जाते हैं। उनकी इसी गुंडागर्दी का विरोध जब रोडवेज कर्मियों ने किया तो 'प्रधान जी' के स्टाफ ने उन्हें बुरी तरह से पीट दिया।

परिवहन मंत्री होने के नाते मूलचंद को इन्सपेक्टरों की तरह छापेमारी करने की बजाय अपने विभाग में बराबर तालमेल स्थापित करके तमाम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना चाहिए तथा नियम-कायदों का सख्ती से पालन कराते हुए अपने स्टाफ को गुंडागर्दी से बचाना चाहिए।

कितने निकम्मे हैं खट्टर के कर्मचारी

बिना तैयारी डिजिटलीकरण, जनता खाए धक्के

फ़रीदाबाद (म.मो.) हरियाणा सरकार द्वारा सभी संपत्तियों का पंजीकरण ऑनलाइन कर दिया गया है। लेकिन इस कार्य के लिए 22 जुलाई से आज 1 सितंबर तक कोई भी पंजीकरण नहीं हो पाया। और इसका कारण सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट एवं अपडेशन बताया गया था। पिछले 3 दिनों से हजारों लोग परेशान हैं। और लगातार तहसील कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उन्हें इस विषय में विभाग से या कहीं और से कोई भी सही जानकारी नहीं दे रहा है। सरकारी तौर पर तो बिल्कुल ही गुमराह व इरिटेट करने वाला जवाब दिया जाता है कि, हमें कुछ नहीं पता जो कुछ है आप किसी साइबर कैफे पर जाकर पता करवा लो।

निकम्मे खट्टर सरकार और उसके अफसरों के निकम्मेपन के बारे में निगम के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण करने की ट्रेनिंग पूरी तरह उन्हें अभी तक नहीं दी गई है। खट्टर सरकार ने डिजिटल के नाम पर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो ऑनलाइन साइट बनाई है, उसमें प्रॉपर्टी का आईडी डालना जरूरी किया गया है पर जिन प्लॉटों पर भवन निर्माण हो चुका है और हाउस टैक्स लागू है, केवल उन्ही की प्रॉपर्टी आईडी, नगर निगम विभाग द्वारा अभी 40 से 65 परसेंट तक तैयार की गई है। बाकी सभी कार्य बकाया हैं और इन्हें भी अभी तक तहसील कार्यालयों की आईडी से नहीं जोड़ पाए हैं। इस वजह से एक भी टोकन आज तक जारी नहीं हो पाया है।

लेकिन जिन प्लॉटों पर अभी तक भवन निर्माण कार्य नहीं हुआ है, उन खाली प्लॉटों की प्रॉपर्टी आईडी कौन बनाएगा, कब बनाएगा, और कैसे बनेगी, उन खाली प्लॉटों की सेल परचेज का कार्य कब तक रुका रहेगा। फरीदाबाद स्टेट्स एजेंट वेलफेयर असोसियेशन के महासचिव गुरमीत देओल ने बताया कि इस विषय में सही जानकारी देने वाला सरकार का कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं है और तो और सॉफ्टवेयर में आ रही समस्याओं का निदान करने वाला भी कोई नहीं। उन्होंने कहा कि परेशानी की हालत में लोगों को सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। जिसकी सारी जिम्मेदारी स्वयं जिला प्रशासन की होगी।

देओल ने बताया कि जिन सेक्टरों को अभी हुड्डा द्वारा नगर निगम को नहीं दिया गया है उन क्षेत्रों में सभी विकास कार्य हुड्डा द्वारा ही कराए जाते हैं और सभी सुविधाएं हुड्डा ही देता है। ऐसे सेक्टर में नगर निगम का कोई रोल नहीं है और ऐसे सेक्टरों के प्लाट धारकों को नगर निगम से नोड्यूज लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि सेक्टर 62,64, 65 : इन सेक्टरों में खाली प्लाटों को खरीदते समय नगर निगम में कोई प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन सकती क्योंकि उन प्लाटों का नगर निगम से कोई संबंध नहीं होता।

इसके बावजूद बेवजह तहसीलों में ऐसे क्षेत्रों के खाली प्लॉटों की रजिस्ट्री करने में देरी की जा रही है और लोगों को बहुत परेशान होना पड़ रहा है। रजिस्ट्री में देरी होने के कारण किसी के एग्रीमेंट की डेट भी निकल सकती है, खरीदार और विक्रेता के बीच में डिस्प्यूट भी बन सकता है, किसी की हुड्डा में परमिशन का टाइम भी निकल सकता है, एफटीएल मिलने में देरी हो सकती है किसी को बैंक से लोन लेना है किसी को अपना मकान शुरू करना है जैसी बहुत सारी दिक्कतें है जो लोगों को हो रही हैं और जो नाजायज हैं।

गुरमीत देओल ने इस बाबत उपायुक्त फ़रीदाबाद को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की, कि सिर्फ नगर निगम में आने वाली कॉलोनियों और नगर निगम के अधीन आए हुए सेक्टरों के प्लॉटों की ही आईडी नगर निगम द्वारा तैयार की गई है या की जा सकती है इस पर तुरंत ध्यान देकर रजिस्ट्री के सिस्टम को तुरंत चालू करने की जरूरत है।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207